परिवहन विभाग

क्र0 सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम/सेवाएँ के तहत् दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
01.	परमिट संबंधी आवेदन – (क) तीन या तीन से अधिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से संबंधित मार्गो पर परमिट निर्गत करने के संबंध में आवेदन (ख) अन्तर्राज्यीय मागों पर परमिट निर्गत करने के संबंध में आवेदन	मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के अनुसार किसी मोटरवाहन का मालिक सार्वजनिक स्थान में उस वाहन का उपयोग यात्री या सामानों के वहन के लिए नियमानुसार निर्गत परमिट के शर्तों के आधार पर करेगा। परमिट एक ऐसा प्राधिकार है जो मोटर वाहन के मालिक /स्वामी को उसके परिवहन के वाहन यथा सार्वजनिक सेवा वाहन, शिक्षण संस्थान या प्राइवेट सेवा मालवाहक वाहन के रूप में करने के लिए वाहन मालिक को निर्गत किया जाता है।	परमिट हेतु आवेदन कर्त्ता	राज्य परिवहन आयुक्त
	(ग) सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अपने प्रमंडल या उससे सटे संलग्न दो प्रमंडल से संबंधित मार्गो पर परमिट निर्गत करने के संबंध में		परमिट हेतु आवेदन कर्त्ता	संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त /संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
02.	टैक्स टोकन संबंधित आवेदन (क) टूरिस्ट वाहन के लिए कर–प्रतीक निर्गत करने से संबंधित आवेदन	सड़कों पर टुरिस्ट वाहन, सर्वजनिक वाहन, निजी व अन्य वाहन को चलाने हेतु निर्धारित टैक्स जमा करने का प्रावधान है।	वाहन के मालिक, चालक एवं आवेदन कर्त्ता	राज्य परिवहन आयुक्त /जिला परिवहन पदाधिकारी।
	(ख) अन्य वाहन के लिए कर– प्रतीक निर्गत करने से संबंधित आवेदन			
3.	ई. पेमेंट के माध्यम से राशि हस्तांतरण करने के संबंध में शिकायत	मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सड़कों पर चलने वाले वाहनों के सड़क मार्ग टैक्स (Road Tax), अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित कर/फीस इत्यादि ई–पेमेंट के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से राशि हस्तांतरण हेतु साफ्टवेयर प्रणाली संचालित की जा रही है।	वाहन मालिक	राज्य परिवहन आयुक्त
4.	प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण सबंधित शिकायत	मोटर वाहन अधिनियम के तहत् सड़कों पर चलने वाले सभी प्रकार के डीजल एवं पेट्रोल चलित वाहनों के द्वारा निर्धारित मानको के अन्दर हीं पेट्रोल/डीजल के धुआँ/कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जित किया जाना चाहिए, जिसमें वायु प्रदूषण उत्सर्जित नहीं हो। इसके लिए वाहनों की जाँच के लिए प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना राज्यान्तर्गत की जाती है। उक्त जाँच केन्द्रों द्वारा मानक के अनुरूप पाये जाने वाले वाहनों का ही प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है इस कारण वैसे वाहन जो बिना प्रदूषण प्रमाण–पत्र के परिचालित होते है उनके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है।	जाँच केन्द्र चलाने स्थापनकरण एवं नवीकरण हेतु इच्छुक आवेदक संचालक प्रदूषण जाँच केन्द्र आमजनों को भी वाहनजनित प्रदूषण से होने वाले कुप्रभाव को कम से कमत्तर किया जाता है।	राज्य परिवहन आयुक्त /जिला परिवहन पदाधिकारी।

5.	अवैध बस/वाहन पड़ाव से संबंधित मामले	बस/वाहन पड़ाव के लिए निर्धारित स्थान से हटकर अन्य स्थान पर बस/वाहन का नियमित रूप से पड़ाव एवं संचालन किये जाने पर उक्त बस/वाहन पड़ाव अवैध बस/वाहन पड़ाव के श्रेणी में आते हैं।	इच्छुक आवेदक	जिला परिवहन पदाधिकारी,
6.	निजी वाहनों के संबंध में दायर परिवाद– (1) निजी बस जो निर्धारित मार्ग से अलग मार्ग पर परिचालन किया जाता हो (2) न्यूनतम एवं अधिकतम आवृति के विभिन्न होने पर समय–सारणी पर परिचालन नहीं करना (3) अंकित बस पड़ावों एवं ठहराव जो मार्ग में पड़ते है पर विभिन्नता होना (4) दर्शित सुविधा एवं सफाई का नहीं होना (5) बस में विनिश्वत सीमा से अधिक समानों का ढोया जाना (6) अनुमोदित दर से अधिक किराया वसूल किये जाना (7) यात्री को किराया का टिकट नहीं देना (8) परमिट में दर्शाये गये शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाना (9) वाहन का दुरुस्ती प्रमाण पत्र नहीं होना (10) निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति पर परिचालन करना (11) निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी को चढ़ाना (12) संचालक का नाम बस पर अंकित नहीं होना (13) बस में अनुज्ञप्तिधारी संवाहक का न होना। (14) शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं किया जाना (15) बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी एजेन्ट से टिकट कटवाना (16) शिकायत पुस्तिका संबंधित – सूचना नहीं होना। (17) संचालक द्वारा शिकायत पर कार्रवाई नहीं किया जाना (18) बस में ऐसे समानों का दोये जाना जिससे आम सवारी के लिए आश्वासकर हो जिसका प्रभाव आम सवारी के स्वास्थ पर खराब पड़ता हो या दुर्गंध फैलाने वाला हो (19) बस में ऑडियो अथवा विडियो विजवल फिट किये जाना जिससे चालक का ध्यान भटकता हो (20) संवाहक एवं चालक का नाम एवं मोबाईल बस पर प्रदर्शित नहीं किये जाना (21) व्यवसायिक सामानों को बस से दोये जाना (22) महिला तथा वृद्ध यात्रियों से दुर्व्यवहार करना	मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पारित किया गया था, तथा मोटर वाहन नियामावली 1989 में पारित किया गया था। सड़क आवागमन पर निजी वाहनों/निजी बसों के माध्यम से सभी नागरिकों को आवागमन सुलभ बनाने हेतु निजी बस/वाहन के मालिकों को निर्धारित मार्ग पर चलाने के लिए कुछ शर्तों के साथ परमिट दिया जाता है। यह परमिट अधिनियम/नियमों के तहत् दिया जाता है।	बसों से यात्रा करने वाले यात्रीगण।	जिला परिवहन पदाधिकारी।
7.	छोटे हल्के व्यवसायिक वाहनों का निजी वाहन में समपरिवर्तन	मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत् छोटे हल्के व्यवसायिक वाहनों के मालिक के द्वारा वाहनों का रजिस्ट्रेशन/निबंधन व्यवसायिक किया जाता है। यदि उक्त वाहन का उपयोग निजी वाहन के रूप में हीं उपयोग वाहन मालिक द्वारा किया जाता है तो वे उस उक्त वाहन को निजी वाहन में समपरिवर्तन करा सकतें हैं।	वाहन के मालिक	जिला परिवहन पदाधिकारी।